न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामांन्य न्यायालय)

वाद सं०– **एम०– 18/2024–25**

वाद का प्रकार– **धारा– 126 भा०ना०सु०सं०**

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, डुमरी थाना) –बनाम– समीर मिंज, वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, **चैनपुर अंचल** के अप्राथमिकी काण्ड स०– **25/2025** एवं **डुमरी थाना** अप्राथमिकी काण्ड स0– **11/2025** दिनांक– **05.06.2025** से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा– 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष **1.** समीर मिंज, पे० स्व० मनसुरत मिंज, सा०– खेतली बरटोली **2.** निक्को टोप्पो, सा० चिरैया **3.** सुनिल तिर्की, पो० जेबिया तिर्की, सा० हड़सरी **4.** पास्कल तिर्की, पे० अंतनुस कुजूर, सा० हड़सरी **5.** सुनिल बेक, पे० फिलमेन बेक, पे० पहाड़ सुवाली **6.** लुकमान मियां, सा० कपासगुटरा, **7.** नौशाद मियां उर्फ नौशाद उर्फ उते, पे० लुकमान मियां, सा० कपासगुटरा **8.** मो० बदरूद्दीन, पे० स्व० अबुल खैर, सा० बेलाटोली **9.** दनियल उराँव, सा० चिरैया सभी थाना– डुमरी, जिला– गुमला को **ई–उल–जुहा (बकरीद) 2025** में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। द्वितीय पक्षकारो द्वारा न्यायिक कार्यावधि के संपूर्ण काल में अपने पक्ष में तथ्यों का प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया परन्तु शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु Bond Down भी किया गया है। चूंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा– 126 के तहत विर्निदिष्ट समयावधि पूर्ण होने के कारण इस वाद की कार्यवाही इस हिदायत के साथ समाप्त की जाती है कि द्वितीय पक्षकार लोक परिशांति व विधि–व्यवस्था बनाए रखेंगे।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशांधित

05.12.25

अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

05.12.25

अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2025.12.09 21:30:44 +05:30
Location: 172.27.60.77

Scanned with CamScanner